# मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम
# १९६५

[क्रमांक २३ सन् १९६५]

*

NIEPA DC
D07383

(३१ जुलाई १९७९ तक संशोधित) मूल्य ५/-

## मूल अधिनियम जिन-जिन अध्यादेशों या संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया

### अध्यादेश

१. प्रथम संशोधन अध्यादेश क्रमांक ६ सन १६६५ दिनांक १३ अक्टूबर १६६५

२. द्वितीय संशोधन अध्यादेश क्रमांक १० सन १६६५ दिनांक २४ अक्टूबर १६६५

### अधिनियम

१. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १६६६ (क्रमांक–३ सन १६६६)

२. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १६६७ (क्रमांक–७ सन १६६७)

३. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा(संशोधन) अधिनियम १६६८ (क्रमांक–१८ सन १६६८)

४. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा(संशोधन) अधिनियम १६७६(क्रमांक–११ सन १६७६)

D-7383
Date 24-2-93

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् १९६५

# मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५

विषय सूची

## पहला अध्याय—प्रारम्भिक


| खण्ड | | पृष्ठ क्र० |
|---|---|---|
| १. | संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ। | १ |
| २. | परिभाषाएं। | २ |


## दूसरा अध्याय

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना, उसका गठन उसके कृत्य आदि।


| | | |
|---|---|---|
| ३. | मण्डल का निगमन। | ४ |
| ४. | मण्डल का गठन। | ५ |
| ५. | सभापति की नियुक्ति तथा उसकी पदावधि एवं सेवा शर्तें। | ७ |
| ६. | पदावधि और आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, आदि। | ७ |
| ७. | गणपूर्ति। | ९ |
| ८. | मण्डल की शक्तियां। | ९ |
| ८क. | मण्डल का सदस्य होने के लिये निरर्हता - | १३ |
| ९. | राज्य शासन की शक्तियां। | १४ |
| १०. | मण्डल निधि का गठन। | १५ |
| ११. | मण्डल निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान। | १५ |
| १२. | मण्डल निधि का उपयोग। .. | १६ |
| १३. | बजट। .. .. | १६ |
| १४. | मण्डल के लेखाओं की लेखा–परीक्षण। .. | १७ |
| १५. | सभापति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य। .. | १७ |
| १६. | उपसभापति की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और उसके कर्त्तव्य। | १८ |
| १७. | मण्डल के पदाधिकारी तथा सेवक। .. | १९ |
| १८. | सचिव की शक्तियां और उसके कर्त्तव्य। .. | २० |
| १९. | कार्यपालिका समिति। .. .. | २० |


## तीसरा अध्याय—सम्भागीय मण्डल


| | | |
|---|---|---|
| २०. | सम्भागीय मण्डल। .. .. | २१ |
| २१. | सम्भागीय सभापति तथा सचिव की पदावधि एवं सेवा-शर्तें | २३ |
| २२. | सम्भागीय मण्डल की शक्तियां तथा कृत्य। .. | २३ |
| २३. | मण्डल का सम्भागीय मण्डल पर नियन्त्रण होगा तथा वह निधि एवं कर्मचारी वृन्द की व्यवस्था करेगा। .. | २४ |

२३क. परीक्षकों आदि की मण्डल के किसी परिश्रमिक वाले कार्य के लिये नई नियुक्ति की समाप्ति । .. २५

चौथा अध्याय—प्रकीर्ण

खण्ड पृष्ठ क्र०

२४. समितियों का गठन आदि । .. .. २५

२५. मण्डल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग आदि । २६

२६. रिक्तियों के कारण कार्यवाहियां अविधिवत् नहीं होंगी। २७

२७. नियम बनाने की शक्ति । .. .. २७

२८. विनियम बनाने की मण्डल की शक्तियां । .. २७

२९. उप-विधियां बनाने की शक्तियां । .. .. ३०

पांचवां अध्याय—निरसन आदि

३०. निरसन तथा व्यावृत्ति । .. .. ३१

३१. अन्तर्वर्ती उपबन्ध । .. .. ३२

३२. कठिनाई दूर करने की शक्ति । .. .. ३२

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन १९६५

## मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (संशोधित)

(दिनांक २९ सितम्बर १९६५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक ३० सितम्बर १९६५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई)।

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विनियमन करने के लिए मण्डल की स्थापना तथा उसके सहायक अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय:—

### पहला अध्याय—प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ।

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार—क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

*[ (३) यह धारा तत्काल प्रवृत होगी तथा धारा २ से ३२ तक की धारायें ऐसे दिनांक को प्रवृत होंगी जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, नियत करें ]।

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन अधिनियम) १९६६ (क्रमांक ३ सन १९६६) द्वारा स्थापित की गई। धारायें २ से ३२ तक राज्य शासन शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक १२०८८—बीस—२—६५, दिनांक १०—११—६५ द्वारा १० नवम्बर १९६५ से प्रवृत हुई।

**परिभाषायें—** २. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विरुद्ध न हो:—

(क) "मण्डल" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित माध्यमिक शिक्षा मण्डल से है;

(ख) "उपविधि" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप–विधि से है;

(ग) "सभापति" से तात्पर्य मण्डल के सभापति से है;

(घ) "सम्भागीय मण्डल" से तात्पर्य धारा २० के अधीन राजस्व आयुक्त के संभाग के लिए स्थापित किये गए संभागीय मण्डल से है;

(ङ) "सम्भागीय सभापति" से तात्पर्य सम्भागीय मण्डल के सभापति से है;

(च) "संस्था" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करती हो या ऐसी संस्था से है जिसे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार न मिले हों और जो अध्यापकों को यथास्थिति प्रमाण-पत्र या उपाधि पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करती हो और उसमें संस्था का भाग सम्मिलित है;

* (छ) "स्थानीय निकायों" से तात्पर्य राज्य में के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों, जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों से है। परन्तु जब तक कि जिला पंचायतों का गठन होता है उस निर्देश का, जो कि जिला पंचायतों के प्रति किया गया हो, यह अर्थ लगाया जायगा कि वह मध्यभारत क्षेत्र में की मण्डल पंचायतों के प्रति किया गया निर्देश है;

(ज) "प्रबन्ध–समिति" से तात्पर्य किसी मान्यता-प्राप्त संस्था की यथास्थिति प्रतिष्ठान संस्था (फाउन्डेशन सोसायटी) या शासी निकाय द्वारा गठित प्रबन्ध समिति से है;

(झ) "मिडिल स्कूल शिक्षा" से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा जोड़ा गया।

द्वारा, समय-समय पर परिभाषित करे;

(ञ) "शालाओं के सन्दर्भ में प्रयुक्त मान्यता-प्राप्त" से तात्पर्य, उसके व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, मण्डल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजन के लिए मण्डल द्वारा मान्यता-प्राप्त से है;

(ट) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मण्डल द्वारा बनाये गये विनियम से है;

(ठ) "माध्यमिक शिक्षा" से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जो मिडिल स्कूल शिक्षा के ठीक पश्चात आती हो और भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रित शिक्षा के प्रक्रम के ठीक पूर्व तक चलती हो;

+(तथा उसमें विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रित शिक्षा के प्रक्रम का वह भाग सम्मिलित है जिस तक कि इण्टरमीजिएट परीक्षा के नाम से ज्ञात परीक्षा धारा ३० के अधीन निरस्त किये गए अधिनियम के अधीन स्थापित तथा गठित मण्डल द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संचालित की जाती थी);

* (ड) "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह के, जो कि भारत के संविधान के

---

+मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९६६ (क्रमांक ३ सन १९६६) द्वारा जोड़ा गया।

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य से है;

*(ढ) "अनुसूचित जनजाति" से तात्पर्य किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह के, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य से है।

## दूसरा अध्याय—माध्यमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना उसका गठन, उसके कृत्य आदि

मण्डल का निगमन — ३. (१) राज्यशासन, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जो कि अधिसूचना में उल्लिखित किया जाय, एक माध्यमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना करेगा

(२) मण्डल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नाम से एक निगम निकाय होगा और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा उस की एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसे इस अधिनियम के अधीन किए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारण की गई किसी भी सम्पत्ति का अन्तरण करने तथा संविदा करने तथा उसके गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उसके निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा जोड़ा गया।

४. (१) मण्डल में सभापति तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:— मण्डल का गठन

## पदेन सदस्य

[क] संचालक, लोक शिक्षण,

[ख] संचालक, प्राविधिक शिक्षा;

[ग] माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी संयुक्त संचालक; लोक शिक्षण, यह कोई हो, या उप संचालक, लोक शिक्षण, जो माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी हो,

*[घ] संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना,

## कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

*[ङ.] राज्य में के विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदों में के सस्दयों में से दो सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे;

## निर्वाचित सदस्य

[च] मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित पांच सदस्य;

## राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

*[छ] राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पन्द्रह सदस्य जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

[एक] ऐसे चार व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों, जिनमें शिक्षक;

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

प्रशिक्षण संस्थाओं तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य सम्मिलित होंगे, का प्रतिनिधित्व करते हों;

[दो] ऐसे छः व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों, जिनमें कम से कम तीन महिलायें होंगी, का प्रतिनिधित्व करते हों;

[तीन] ऐसे तीन व्यक्ति जो स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए उस प्रबन्धक निकाय [मिनेजमेंट], जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को चलाता हो, का प्रतिनिधित्व करते हों;

[चार] दो व्यक्ति जो शिक्षा संचालनालय का प्रतिनिधित्व करते हों, या उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा चिकित्सीय वृत्तियों से संबंधित हों;

परन्तु यदि संचालक, लोक शिक्षण को सभापति नियुक्त किया जाय, तो अपर संचालक, यदि कोई हो, या राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया संयुक्त संचालक उसके स्थान पर पदेन सदस्य होगा.

* [परन्तु यह और भी कि मध्यप्रदेश विधान सभा के वे सदस्य, जो कि उस मण्डल के सदस्य हैं जो धारा ३० की उपधारा (१) के खण्ड [ख] के अधीन अस्तित्व में नहीं रहेगा, खण्ड [च] के अधीन इन अधिनियम के अधीन प्रथम बार गठित किए गए मण्डल के सदस्य

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९६६(क्रमांक ३ सन १९६६) द्वारा स्थापित किया गया।

हो जायेंगे और धारा ६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस समय तक उसके सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे मध्य-प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने रहते हैं.]

* परन्तु उपधारा [१] के खण्ड [छ] के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए पन्द्रह सदस्यों में से तीन सदस्य अनुसूचित जन-जातियों के तथा दो सदस्य अनुसूचित जातियों के होंगे :—

*[२] विलोपित

[३] निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए गए प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा.

**सभापति की नियुक्ति तथा उसकी पदावधि एवं सेवा-शर्तें**

५. [१] सभापति ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य शासन द्वारा, इस संबंध में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया जाय.

[२] सभापति की पदावधि तथा अन्य सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित की जाय.

**पदावधि और आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि.**

६. [१] पदेन सदस्यों या नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों की पदावधि साधारणतः पांच वर्ष होगी ।

*[२] उपधारा [१] में निर्दिष्ट की गई पांच वर्ष की कालावधि की गणना उस दिनांक से की जायगी जो कि धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित किया गया हो:—

[३] यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी कारण-वश उस निकाय का सदस्य न रहे जिससे वह निर्वाचित

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

किया था, तो वह सदस्य नहीं रह जायेगा और उसका पद रिक्त हो जायगा।

(४) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन नामनिर्देशन से संबंधित अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी"

(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वहिर्गामी सदस्य जब तक कि राज्य शासन अन्यथा निर्देशित न करें, अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन या नामनिर्देशन के अधिसूचित किए जाने तक पद पर बना रहेगा.

(६) यदि राज्य शासन का यह विचार हो कि किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का अपने पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है, तो राज्य शासन उसका नाम निर्देशन समाप्त करने वाला आदेश दे सकेगा और तदुपरांत वह इस बात के होते हुए भी कि वह अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, मण्डल का सदस्य नहीं रहेगा.

* (७) मण्डल का कोई भी सदस्य राज्य शासन को सम्बोधित किए गए पत्र द्वारा अपने पद का त्याग-कर सकेगा. त्यागपत्र राज्य शासन द्वारा उसके स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा.

*(८) किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या नाम-निर्देशन की समाप्ति के कारण से या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी, तथा ऐसी रिक्ति के भरे जाने के लिए निर्वा-

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

चित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उतनी अवधि तक उस पद पर रहेगा जितनी अवधि तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर रहता और उससे अधिक नहीं.

*(९) बहिर्गामी सदस्य, यदि वह अन्यथा अर्ह हो, पुनर्निर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा.

* (१०) जहां कोई सदस्य, सभापति की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मण्डल के तीन क्रमवर्ती सम्मिलनों में स्वयं अनुपस्थित रहता है, वहां मण्डम उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा.

*(११) मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन सदस्यों के सम्बन्ध में, जो धारा ४ की उपधारा [१] के खण्ड[ड.] के अधीन निर्वाचित किए गए हों, यह समझा जायगा कि वे ३ फरवरी सन् १९७९ से पद पर नहीं रह गए हैं। **सदस्यता की समाप्ति.**

*७. मण्डल के किसी सम्मिलिन के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी. **गणपूर्ति**

८. मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :— **मंडल की शक्तियां**

(क) माध्यमिक शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण का पाठ्यक्रम विहित करना;

*(कक)मण्डल द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने वाले अभ्यर्थियों पर शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये विनिमय बनाना;

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों पर आधारित परीक्षाओं का संचालन करना और उसके सहायक समस्त उपाय करमा;

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने—

(एक) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में, या

(दो) प्रायवेट तौर पर

शिक्षण के विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जांय, परीक्षाओं में प्रवेश देना;

(घ) अपनी परीक्षाओं के परीक्षा-फल प्रकाशित करना;

(ङ.) मण्डल की परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(च) मध्यप्रदेश में स्थित संस्थाओं को मण्डल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये उनको मान्यता प्रदान करना,

*(चच) शालाओं या संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें, जिनके अन्तर्गत अध्यापकों की सेवा शर्तें, उनकी अर्हताओं सम्बन्धी शर्तें, उपस्कर, भवन तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं सम्बन्धी शर्तें भी आती हैं; विहित करना,

*(चचच) किसी संस्था की मान्यता को उस दशा में वापिस लेना जबकि जांच के पश्चात मण्डल का यह समाधान हो जाये कि उसके विशेषाधिकारों का उस संस्था द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या यह कि ऐसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए मण्डल द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है :

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

परन्तु आमान्यता मामूली तौर से शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवर्तित नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और भी कि यदि अमान्यता शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवर्तित की जाती है, तो इस प्रकार अमान्य की गई शाला के उन विद्यार्थियों को, जिन्हें कि मंडल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया गया होता, परीक्षा में प्राइवेट तौर पर बैठने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा;

(छ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की दशा के सम्बन्ध में संचालक लोक शिक्षण से रिपोर्ट तलब करना या ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण का निदेश देना ;

(ज) मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय ग्रहण करना और उनके निवास तथा अनुशासनकी शर्तें विहित करना ;

(झ) व्याख्यानों, प्रदर्शनों, शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना और उनकी व्यवस्था करना तथा ऐसे अन्य उपाय करना जो कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।

(ञ) ऐसी शर्तों के अधीन, जो कि विहित की जांय, छात्रवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना।

(ट) ऐसी फीस की मांग करना और प्राप्त

करना, जो कि विहित की जांय, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों तथा प्रबन्ध-समितियों की रजिस्ट्रीकरण फीस भी सम्मिलित है ;

(ठ) सम्भागीय मण्डल के कार्यकरण को नियंत्रित करने, उसका पर्यवेक्षण करने तथा उसके सम्बन्ध में निदेश देने के प्रयोजन के लिए समस्त उपाय करना ;

(ड) मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा में समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से मिडिल स्कूल शिक्षा के शिक्षण-पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विवरण के सम्बन्ध में राज्य शासन को सलाह देना ;

†"(डड) एक) माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों, परिसंवादों का आयोजन करना ;

(दो) प्रश्न-पत्र बनाने वालों के लिए कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(तीन) नवीनतम मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अन्वेषण तथा गवेषणायें करके या अन्य प्रयोग करके शालाओं की पाठचर्या का आधुनिकीकरण करने, विज्ञान तथा गणित की शिक्षा, कार्य अनुभव तथा व्यवसायीकरण

---

†मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन् १९७९ द्वारा स्थापित किया गया।

को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के संबंध में आवश्यक उपाय करना ;

(चार) परीक्षाओं को अधिक विधिमान्य, विश्वसनीय, व्यापक तथा विस्तृत बनाने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना ।

(पांच) आंकलित (क्यूमुलेटिव) अभिलेखों तथा आंतरिक निर्धारण संबन्धी अभिलेखों के माध्यम से विद्यार्थियों के.व्यापक मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ।

(ढ) ऊपर उल्लिखित किये गये प्रयोजनो में से किसी भी प्रयोजन से समनुषक्त या इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये अन्य समस्त कार्य करना ।

**मण्डल का सदस्य होने के लिये निरर्हता**

८-क कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाने या सदस्य के रूप में बना रहने के लिये निरर्हित होगा, यदि वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः —

(क) किसी ऐसे प्रकाशन में, जो माध्यमिक शिक्षा देने वाली किसी संस्था में उपयोग में लाया जाने के लिये

---

† मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया ।

अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के रूप में विहित किया गया हो, कोई अंश या हित रखता हो; या

(ख) किसी ऐसे कार्य में, जो मण्डल के लिये या मण्डल की ओर से किया गया हो, कोई अंश या हित रखता हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये, किसी पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन के अन्तर्गत उसका पुनः प्रकाशन भी आयेगा ।

**राज्य शासन की शक्तियां**

९. (१) राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह मंडल या सम्भागीय मण्डल द्वारा संचालित की गई या की गई किसी भी बात के सन्दर्भ में मण्डल को सम्बोधित करे और किसी भी विषय पर, जिससे मण्डल या सम्भागीय मण्डल का सम्बन्ध हो, अपने विचार संसूचित करे ।

(२) मण्डल, ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जैसी कि वह उस संसूचना पर करना प्रस्तावित करे या कर चुका हो, राज्य शासन को रिपोर्ट देगा और यदि वह कार्यवाही न कर पाए तो स्पष्टीकरण देगा ।

(३) यदि मण्डल युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य शासन के समाधान योग्य कार्यवाही न करे, तो राज्य शासन, मण्डल द्वारा दिए गये किसी भी स्पष्टीकरण या किये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश देगा जिन्हें कि वह उचित समझे और यथा स्थिति मण्डल या सम्भागीय मण्डल ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(४) यदि राज्य शासन की राय में किसी आपातिक स्थिति के कारण शीघ्र कार्यवाही करना अपेक्षित हो, तो राज्य शासन, मण्डल या संभागीय मण्डल से पूर्व परामर्श किए बिना, इस अधिनियम के अधीन, मण्डल या सम्भागीय मण्डल की शक्तियों में से ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसे कि वह उचित समझे, और की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में मण्डल को तत्काल इत्तिला देगा।

(५) राज्य शासन, मण्डल या सम्भागीय मण्डल के किसी भी संकल्प या आदेश का निष्पादन, लिखित आदेश द्वारा, तत्सम्बन्धी कारणों का उल्लेख करते हुये निलंम्बित कर सकेगा और ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगा जिसके कि किए जाने का मण्डल या सम्भागीय मण्डल द्वारा आदेश दिया गया हो या जिसके किए जाने का मण्डल द्वारा आदेश दिया जाना अभिप्रेत हो, यदि राज्य शासन की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मण्डल या सम्भागीय मण्डल को प्रदत्त शक्तियों की सीमा के बाहर है।

(६) जब कभी उपधारा (३), (४) या (५) के अधीन राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जाय, तो ऐसी कार्यवाही का कारण प्रकट करते हुए, उसकी रिपोर्ट, यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

१०. मण्डल के लिये एक मण्डल-निधि गठित की जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा मण्डल द्वारा या मण्डल की ओर से प्राप्त समस्त धन राशियां उसके नामे जमा की जायेगी। — मण्डल-निधि का गठन

११. मण्डल निधि में जमा सम्पूर्ण धन शासकीय कोषागार में या किसी बैंक में, जैसा कि मण्डल, शासन के अनुमोदन से अवधारित कर रखा जायेगा। — मण्डल-निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह मण्डल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं हैं, किन्हीं भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने से प्रतिवारित करती है ।

मण्डल-निधि का उपयोग

१२. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मण्डल-निधि का उपयोग इस अधिनियम में उल्लिखित किये गये अनेक मामलों के प्रसंग में होने वाले प्रभारों तथा व्ययों की देनगी के लिए और ऐसे किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मण्डल या सम्भागीय मण्डल को शक्तियां प्रदान की गई हों या उस पर कर्त्तव्य अधिरोपित किये गये हों ।

बजट

१३. (१) मण्डल आगामी वित्तीय-वर्ष के लिए बजट ऐसी रीति में तैयार करेगा जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाय और उसे राज्य शासन की ओर उसकी मंजूरी के लिये ऐसे दिनांक को अग्रेषित करेगा जो ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्वगत इकत्तीस जनवरी के पश्चात का न हो । राज्य शासन उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे और मण्डल को ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्वगत ३१ मार्च तक उसकी संसूचना देगा और मण्डल ऐसे आदेशों को प्रभावी बनायेगा ;

परन्तु यदि मण्डल को उपरिनिर्दिष्ट ३१ मार्च तक मन्जूरी की संसूचना न दी जाय, तो बजट के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह बिना किसी रूपभेदन के राज्य शासन द्वारा मन्जूर कर दिया गया है ।

(२) मण्डल, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे वर्ष के

लिये अनुपूरक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य शासन को उसकी मंजूरी के लिये ऐसे दिनांक को प्रस्तुत करेगा जो उक्त वित्तीय वर्ष के इकत्तीस अक्टूबर के पश्चात का न हो, राज्य शासन उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे और मण्डल को उक्त वित्तीय वर्ष के तीस नवम्बर तक उसकी संसूचना देगा और मण्डल ऐसे आदेशों को प्रभावी बनायेगा ;

परन्तु यदि मण्डल को तीस नवम्बर तक मंजूरी की संसूचना न दी जाय, तो अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह बिना किसी रूप-भेदन के राज्य शासन द्वारा मंजूर कर दिया गया है।

**मण्डल के लेखाओं की लेखा-परीक्षण**

१४. मण्डल तथा सम्भागीय मण्डल के लेखाओं की लेखा-परीक्षण प्रति वर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा की जायेगी जो कि राज्य शासन द्वारा उल्लिखित किया जाय और लेखा-परीक्षित लेखे और सन्तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की एक प्रति मण्डल द्वारा राज्य शासन को प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक तक प्रस्तुत की जायेगी जिसे कि राज्य शासन नियमों द्वारा उल्लिखित करे।

**सभापति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य**

१५. (१) सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का पालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(२) सभापति, जब कभी वह उचित समझे, कम से कम पूरे २१ दिन की सूचना देने के पश्चात सम्मिलन बुला सकेगा और ऐसी लिखित अधियाचना के, जो कि मण्डल के कम से कम तेरह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें सम्मिलन के समक्ष लाये जाने वाले काम काज का उल्लेख हो, प्राप्त होने के

चौदह दिन के भीतर, ऐसा करने के लिए बाध्य होगा ।

(३) मण्डल के कामकाज से उत्पन्न होने वाली किसी आपातिक स्थिति में, जो कि सभापति की राय में यह अपेक्षा करती हो कि तत्काल कार्यवाही की जाय, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् मण्डल को उसके आगामी सम्मिलन में, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट देगा ।

(४) सभापति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा उसमें निहित की जाय ।

* (५) सभापति एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कि प्रत्यायोजित की गई शक्तियां उल्लिखित की गई हों, सचिव को ऐसी शक्तियां, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सभापति को प्रदत्त की गई हों, प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा ऐसे कर्तव्य, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सभापति पर अधिरोपित किए गये हों, सौंप सकेगा ।

उपसभापति की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और उसके कर्त्तव्य

१६. (१) राज्य शासन सभापति के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को मण्डल का उपसभापति नियुक्त कर सकेगा ।

(२) उपसभापति की पदावधि तथा अन्य सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित की जाय ।

(३) उपसभापति समस्त प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक मामलों में सभापति की सहायता करेगा और सभापति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय तथा सभापति के ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे सौंपे जांय ।

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन)अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया ।

मण्डल के पदाधिकारी तथा सेवक

१७. (१) मण्डल का एक सचिव होगा, तथा उतने उप-सचिव होंगे जितने कि राज्य शासन आवश्यक समझे।

(२) सचिव तथा उपसचिवों की नियुक्ति राज्य शासन पर निर्भर होगी।

* (३) मण्डल, उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे पदाधिकारियों को, जिन के अन्तर्गत सहायक सचिव तथा सेवक आते हैं, नियुक्त कर सकेगा जिन्हें कि वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझें।

(४) मण्डल के पदाधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा वेतन-मान—

(क) सचिव तथा उपसचिवों के सम्बन्ध में ऐसे होंगे, जैसे कि राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा उल्लिखित किये जांय, और

(ख) सहायक सचिवों, अन्य पदाधिकारियों तथा सेवकों के सम्बन्ध में ऐसे होंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जांय।

* (५) मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना न तो किसी ऐसे पद का सृजन करेगा जिसका कि प्रारंभिक वेतन ५०० रुपये या अधिक हो या जिसका कि अधिकतम वेतन ६०० रुपये या अधिक हो, और न वह किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भिक या अधिकतम वेतन वाले किसी पद पर नियुक्त ही करेगा।

---

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १६७६ (क्रमांक ११ सन १६७६) द्वारा स्थापित किया गया।

**सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य.**

१८. (१) सचिव, प्रधान प्रशासकीय पदाधिकारी होगा ओर सभापति के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि उसे मंडल द्वारा सौंपे जांय.

(२) सचिव, इस बात को देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि सम्पूर्ण धन उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाता है जिनके लिये वह मंजूर किया गया है या बंटित किया गया है.

(३) सचिव, मण्डल का कार्यवृत रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(४) सचिव, मण्डल तथा कार्यपालिका समिति के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित रहने का और बोलने का हक़दार होगा किन्तु, उसमें मत देने का हक़दार नहीं होगा.

(५) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लायेगा जो विनियमों में निर्धारित की गई हों.

**कार्यपालिका समिति**

१९. (१) मण्डल के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, एक कार्यपालिका समिति निम्नलिखित रूप में गठित की जायगी :—

(क) मण्डल का सभापति;

(ख) संचालक, लोक शिक्षण;

(ग) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित किए गए सदस्यों में से मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्य;

(घ) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किए गए सदस्यों में से मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्य;

(ङ.) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (तीन) तथा चार के अधीन नाम-निर्दिष्ट किए गए सदस्यों में से मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले तीन सदस्य;

(च) किसी ऐसे हित का, जिसका कि कार्यपालिका समिति से अन्यथा प्रतिनिधित्व न किया गया हो, प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य.

(२) मंडल का सभापति तथा सचिव कार्यपालिका समिति के क्रमशः सभापति तथा सचिव के रूप में कार्य करेंगे.

*(३) "कार्यपालिका समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी किन्तु वह इस प्रकार कि उक्त अवधि उस मण्डल की अवधि के आगे तक न चली जाय जिसने कि उक्त कार्यपालिका समिति का गठन किया हो."

(४) कार्यपालिका समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो कि विनिमयों द्वारा विहित की/किए जांय।

## तीसरा अध्याय—सम्भागीय मण्डल

२०. (१) प्रत्येक राजस्व सम्भाग के लिए एक संभागीय मण्डल गठित किया जा सकेगा जिसमें संभागीय सभापति तथा निम्नलिखित सदस्य नीचे बतलाये गये अनुसार होंगे :— सम्भागीय मण्डल.

(क) राजस्व संभाग के स्नातकोत्तर बुनियादी

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९६६ क्रमांक ३ सन् १९६६ द्वारा जोड़ा गया.

प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य और यदि संभाग में एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों, तो ऐसे प्रचार्यों में से ज्येष्ठतम;

(ख) राजस्व सम्भाग के भीतर का/के सम्भागीय अधीक्षक;

(ग) सम्भाग का एक जिला शिक्षा पदाधिकारी जो राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) राजस्व सम्भाग में के किसी निर्वाचन-क्षेत्र या किसी निर्वाचन-क्षेत्र के भाग का प्रतिनिधित्व करने वाला विधान सभा का एक सदस्य जो राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ.) सम्भागीय मुख्यालय पर स्थित नगर निगम का महापौर या नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष, जैसी भी कि दशा हो;

(च) माध्यमिक शिक्षा में अभिरुचि रखने वाला एक व्यक्ति जो राज्य शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो.

(२) सम्भागीय मण्डल का मुख्यालय राजस्व सम्भाग के मुख्यालय के स्थान पर स्थित होगा.

(३) सम्भागीय मण्डल का सभापति ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया जाय तथा वह सम्भागीय मण्डल का सदस्य समझा जायगा.

(४) * [उपधारा १] के खण्ड (घ) तथा (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों की पदावधि राजपत्र में उनके नामनिर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी.

---

*माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम क्रमांक ३, सन् १९६६ के द्वारा स्थापित किया गया.

(५) सम्भागीय मण्डल का सचिव, ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राज्य शासन द्वारा उस रूप में नियुक्त किया जाय.

(६) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुए, सम्भागीय मण्डल के सम्भागीय सभापति तथा सचिव, सम्भागीय मण्डल से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन्हीं कृत्यों का पालन करेंगे, जिनका कि मण्डल का सभापति या सचिव, जैसी भी कि दशा हो, मण्डल से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रयोग करता हो या पालन करता हो.

सम्भागीय सभापति तथा सचिव की पदावधि एवं सेवा-शर्तें.

२१. सम्भागीय सभापति या सचिव की पदावधि एवं सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित की जायं.

संभागीय मंडल की शक्तियां तथा कृत्य

२२. इस अधिनियम के उपबन्धों तथा, मण्डल के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं निदेश के अधीन रहते हुए, सम्भागीय मण्डल की शक्तियां तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) माध्यमिक शालाओं के स्तर तथा अपेक्षाओं के बारे में सम्भाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर, उन विषयों के या तो उसे निर्देशित किये जाने पर या स्वप्रेरणा से, मण्डल को सलाह देना;

(ख) उसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में मण्डल की ओर से परीक्षाओं का संचालन करना;

(ग) मण्डल की परीक्षाओं के संचालन के लिये अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर केन्द्र खोलने की सिफारिश करना;

(घ) मण्डल द्वारा विहित किये गये विनियमों के

अनुसार माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण करना और उनकी मान्यता के लिये सिफारिश करना तथा ऐसी मान्यता को वापिस लेने की सिफारिश करना;

(ङ) मण्डल की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में बनाये गये विनियमों के अनुसार प्रवेश देना;

(च) पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना, परीक्षा-फलों के सारिणीकरण की व्यवस्था करना और परीक्षाफल संकलित करना तथा मण्डल को परीक्षा-फल अग्रेषित करना;

(छ) अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए गुणागुण के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची अग्रेषित करना;

(ज) परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन उपयोग में लाने विषयक मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयोग में लाना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो कि मंडल द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायं या सौंपे जांय.

मण्डल का सम्भागीय मण्डल पर नियन्त्रण होगा तथा वह निधि एवं कर्मचारी वृन्द की व्यवस्था करेगा.

२३. (१) मण्डल को सम्भागीय मण्डल से सम्बन्धित समस्त विषयों पर सामान्य अधीक्षण तथा नियन्त्रण की शक्ति होगी और सम्भागीय मण्डल इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगा जो कि मण्डल द्वारा उसे दिए जांय.

(२) मण्डल का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्भागीय मंडल के अधिकार में ऐसी निधि तथा इतने पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी वृन्द **रखे** जो कि सम्भागीय मंडल को इस अधिनियम द्वारा या उसके

अधीन सौंपे गये कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों.

*२३ क. (१) यदि किसी भी समय मंडल को यह प्रतीत हो कि मंडल के किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी ऐसे अवचार या किसी ऐसी उपेक्षा का दोषी रहा है कि जिससे किसी विशिष्ट कार्य के लिये वह नियुक्ति असमीचीन हो जाती है, तो मंडल, उसकी नियुक्ति को समाप्त करते हुये तथा यह निर्दिष्ट करते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी समय उस विशिष्ट कार्य के लिये या किसी उल्लिखित कालावधि तक के लिये नियुक्त किये जाने हेतु पात्र नहीं होगा, एक आदेश कर सकेगा. ऐसा आदेश करने के पूर्व, मंडल, ऐसी प्रक्रिया के अनुपालन करेगा जैसी कि विहित की जाय.

परीक्षकों आदि की मंडल के किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये की गई नियुक्ति की समाप्ति.

(२) उस व्यक्ति का, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन आदेश किया गया हो, नाम, नामों के पैनल में ऐसी कालावधि तक के लिये सम्मिलित नहीं किया जायगा जो कि ऐसे आदेश में उल्लिखित हो.

## चौथा अध्याय–प्रकीर्ण

२४. (१) मण्डल निम्नलिखित समितियां गठित करेगा, अर्थात् :—

समितियों का गठन आदि

(क) पाठ्यक्रम समितियां;

(ख) परीक्षा समिति;

(ग) मान्यता समिति;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) पाठचर्या समिति;

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन् १९७९) द्वारा स्थापित किया गया.

(च) ऐसी अन्य समितियां, यदि कोई हों, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जांय.

(२) प्रत्येक ऐसी समिति में मंडल के ऐसे सदस्य होंगे तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें मंडल उचित समझे.

*(३) विलोपित

*(४) ऐसी समितियों के सदस्य, ऐसे समय के लिए पद धारण करेंगे, जिसे कि मंडल, जिसने उन्हें नियुक्त किया है, समय-समय पर उल्लिखित करें;

परन्तु यदि ऐसी समितियों को नियुक्त करने वाले मंडल की अवधि इस प्रकार उल्लिखित की गई अवधि के पूर्व ही समाप्त हो जाय तो समितियां, उत्तराधिकारी मंडल द्वारा नई समितियों की नियुक्ति की जाने तक पद धारण किये रहेंगी.

*(५) विलोपित

मंडल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजितकी. गई शक्तियों का प्रयोग, आदि

२५. मण्डल द्वारा ऐसी शक्तियों के, जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदान की गई हों, प्रयोग से सम्बन्धित समस्त मामले, जो कि मंडल ने विनियमों द्वारा कार्यपालिका समिति को या धारा २४ के अधीन गठित की गई किसी अन्य समिति को प्रत्यायोजित कर दिये हों, उस समिति को निर्दिष्ट किये गये समझे जायेंगे, और मंडल किन्हीं भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व प्रश्नास्पद विषय के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा:

परन्तु जहां मंडल की राय में किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, वहां वह उसके सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के बिना ही उस पर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे.

---

*मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा संशोधित एवं विलोपित किया गया ।

२६. इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उप विधियों के अधीन रहते हुए, मण्डल, सम्भागीय मण्डल कार्यपालिका समिति का या धारा २४ के अधीन गठित की गई किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिवत् नहीं होगी कि मण्डल, सम्भागीय मण्डल या ऐसी समिति के सदस्यों में कोई रिक्ति विद्यमान थी.

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियां अविधिवत नहीं होंगी

२७. (१) राज्य शासन, पूर्व प्रकाशन के पश्चात, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

*२८. (१) मंडल इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो.

विनियम बनाने की मंडल की शक्तियां

(२) विशेषत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडल निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध करते हुए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा १६ के अधीन गठित कार्यपालिका समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

(ख) धारा २४ के अधीन गठित समितियों का गठन, शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

*(खख) मंडल द्वारा संचालित की गई परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षा में हस्तक्षेप करने वाले अभ्यार्थियों

---

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन् १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना;

(ग) उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों का प्रदान किया जाना;

*(घ) "मंडल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें अध्यापकों की अर्हता सम्बन्धी शर्तें और उनकी सेवा-शर्तें तथा ऐसी संस्थाओं के दक्षतापूर्ण एवं एक से प्रबन्ध का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के हेतु शाला-संहिता (स्कूल कोड) का बनाया जाना;"

(ङ.) समस्त उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित किया जाने वाला पाठ्य-क्रम;

(च) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थियों को मंडल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिए पात्र होंगे;

(छ) मंडल की परीक्षा में प्रवेश के लिए फीस,

(ज) परीक्षाओं का संचालन;

(झ) परीक्षकों की नियुक्ति और मंडल की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य तथा शक्तियां;

(ञ) संस्थाओं को मान्यता के विशेषाधिकारों का दिया जाना और मान्यता का वापिस

* मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७९ (क्रमांक ११ सन १९७९) द्वारा स्थापित किया गया।

लिया जाना;

(ट) मंडल के पदाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तें;

(ठ) मंडल द्वारा नियोजित पदाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों के फायदे के लिए भविष्य-निधि का गठन;

(ड) मंडल के वित्तों का समस्त रूपेण नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षित-अभिरक्षा तथा प्रबन्ध, और

(ढ) ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा, विनिमयों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या किए जा सकें.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए विनियम मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट १९५७ (क्रमांक ३, सन् १९५८) की धारा २४ में उपवर्णित की गई रीति में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे और तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे राज्य शासन द्वारा मंजूर न कर लिए जायं और राजपत्र में प्रकाशित न कर दिए जांय.

(४) जब विनियमों का अन्तिम प्रारूप, मण्डल द्वारा राज्य शासन को उपधारा (३) के अधीन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाय, तो राज्य शासन ऐसे प्रारूप के प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से तीन मास की कालावधि के भीतर मण्डल को या तो प्रारूप के मंजूर कर लिए जाने या अस्वीकार कर दिए जाने के सम्बन्ध में संसूचित करेगा या उसमें ऐसे रूपभेदनों का सुझाव देगा जो कि प्रारूप में आवश्यक समझे जायं. यदि राज्य शासन कोई कार्यवाही न करे, तो मंडल द्वारा

प्रस्तुत किया गया अन्तिम प्रारूप राज्य शासन द्वारा मंजूर किया हुआ समझा जायगा और तदनुसार राज-पत्र में प्रकाशित किया जायगा.

उपविधियां बनाने की शक्तियां

२६. (१) मंडल, सम्भागीय मंडल, कार्यपालिका समिति तथा धारा २४ के अधीन गठित की गई समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकेंगी, जिनमें :—

(क) सम्मिलन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी,

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिए उपबन्ध किया जायगा जो किन्हीं उप-विधियों के द्वारा इस अधिनियम तथा विनियमों से संगति रखते हुए, उपबंधित किए जाने हों, और

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिए उपबंध किया जायगा, जो केवल मंडल, सम्भागीय मंडल, कार्यपालिका समिति तथा धारा २४ के अधीन गठित समितियों से सम्बन्धित हों और जिनके लिए इस अधिनियम या नियमों या विनियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो.

(२) मंडल, सम्भागीय मंडल, कार्यपालिका समिति तथा धारा २४ के अधीन गठित समितियां ऐसी उपविधियां बनायेंगी जिनमें उनके सदस्यों को सम्मिलनों के दिनांकों और सम्मिलनों में विचार किए जाने वाले कामकाज की सूचना देने के लिए और सम्मिलनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध किया गया हो.

(३) मंडल, किसी सम्भागीय मंडल, कार्यपालिका समिति या धारा २४ के अधीन गठित किसी समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गई किसी

उपविधि के संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकेगा और ऐसा मंडल या समिति निदेश को प्रभावी बनावेगी.

## पाँचवा अध्याय—निरसन आदि

**निरसन तथा व्यावृत्ति**

३०. (१) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन मण्डल की स्थापना के लिए उल्लिखित किए गए दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) मध्यप्रदेश सेकण्डरी एज्यूकेशन एक्ट, १९५९ (क्रमांक १०, सन् १९५९) निरस्त हो जायगा;

(ख) पूर्वोक्त दिनांक से ठीक पूर्व विद्यमान माध्यमिक शिक्षा मण्डल अस्तित्व में नहीं रहेगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए मण्डल की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मण्डल में निहित हो जायेंगी;

(घ) पूर्वोक्त दिनांक के ठीक पूर्व खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट किए गए मण्डल के या उसके नियन्त्रणाधीन समस्त कर्मचारी धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मंडल के कर्मचारी समझे जायेंगे;

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित न की जायें, उन निबन्धनों तथा शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए मंडल की सेवा में रखते हुए उनके लिए स्वीकार्य थीं;

(ङ.) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए मंडल के समस्त अभिलेख तथा कागज, धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मंडल में निहित हो जायेंगे तथा उसको अन्तरित हो जायेंगे.

(२) मध्यप्रदेश सेकन्डरी एज्यूकेशन एक्ट, १९५९ (क्रमांक १०, सन् १९५९) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई या करने से छोड़ दी गई बातें तथा की गई कार्यवाही, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी.

**अन्तर्वर्ती उपबन्ध**

३१. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ३० के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन गठित कार्यपालिका समिति ऐसे समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका समिति गठित न हो जाए.

**कठिनाई दूर करने की शक्ति**

३२. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न हो; तो राज्य शासन आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो कि उसे शंका या कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो.

# The Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965

(No. 23 of 1965)

*

Corrected up to 31st July 1979

The Ordinances and Amendments Acts by which the original Act has been Amended:—

## ORDINANCES

(1) First Amendment Ordinance (No. 9 of 1965) dated 13th October 1965.

(2) Second Amendment Ordinance (No. 10 of 1965) dated 24th October 1965.

## AMENDMENT ACTS

(1) Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966 (No. 3 of 1966)

(2) Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1967 (No. 7 of 1967)

(3) Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1968 (No. 18 of 1968)

(4) Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Shanshodhan) Adhiniyam, 1979 (No. 11 of 1979).

# MADHYA PRADESH ADHINIYAM

No. 23 of 1965

## THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965 *

Table of Contents


Sections | Page No.

### CHAPTER I—Preliminary

1. Short title, extent and commencement. 37
2. Definitions. 37

### CHAPTER II—Establishment of the Board of Secondary Education, its constitution, functions, etc.

3. Incorporation of the Board. 40
4. Constitution of the Board. 41
5. Appointment of the Chairman and term of office and conditions of his service. 43
6. Term of office and filling of casual vacancy etc. 43
7. Quorum. 45
8. Powers of the Board. 45
8 A. Disqualification for being member of the Board 48
9. Powers of the State Government. 49
10. Constitution of the Board's Fund. 51
11. Custody and investment of the Board's Fund. 51
12. Application of the Board's Fund. 51
13. Budget. 52
14. Audit and accounts of the Board. 53
15. Powers and duties of the Chairman. 53
16. Appointment, powers and duties of the Vice-Chairman. 54
17. Officers and servants of the Board. 54
18. Powers and duties of the Secretary. 55
19. Executive Committee. 56

### CHAPTER III—Divisional Board

20. Divisional Board. 57


---

*As amended upto 31st July 1979.


Acc. No. D-7383
Date 24-2-93

Sections Page No

21. Term of office and conditions of service of the Divisional Chairman and Secretary. 58
22. Powers and functions of the Divisional Board. 59
23. Board to have control over Divisional Board and to provide for fund and staff. 60
24. A--Termination of appointment of examiners etc. for any remunerative work of the Board 60

## CHAPTER IV—Miscellaneous

25. Constitution of Committees etc. 61
26. Exercise of powers delegated by the Board to the Committee etc. 62
27. Proceedings not invalidated by reason of vacancies etc. 62
28. Power to make rules. 62
29. Powers of the Board to make Regulations. 63
30. Powers to make byelaws. 65

## CHAPTER V—Repeal, etc.

31. Repeal and Saving. 66
32. Transitory Provision. 67
33. Power to remove difficulty. 68

# MADHYA PRADESH ADHINIYAM

## NO. 23 OF 1965

# THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965

(Received the assent of the Governor on the 29th September 1965 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Extraordinary" Gazette on the 30th September 1965)

An Act to provide for the establishment of a Board to regulate Secondary Education in Madhay Pradesh and other matters ancillary thereto.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows: -

## CHAPTER I—Preliminary

1. (1) This Act may be called "the Madhya Pradesh Madhyamik Sniksha Adhiniyam, 1965" *Shottitle extent and commencement*

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

† (3) (This section shall come into force at once and sections 2to32 shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint)*

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:— *Difinition*

---

†Substituted by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1966" (No. 3 of 1966)

*Section 2 to 32 have been brought in to force on the 10th day of November, 1965 by Education Department Notification No. 12088-XX-2-65' dated the 10th November 1965.

(a) "Board" means the Board of Secondary Education established under section 3;

(b) "Bye-law" means a bye-law made under this Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(d) "Divisional Board" means the Divisional Board established for the Revenue Commissioner's Division under section 20;

(e) "Divisional Chairman" means the Chairman of the Divisional Board:

(f) "Institution" means an institution imparting Secondary Education or an institution not admitted to the privileges of any University established by law and imparting training to the teachers for a certificate or a diploma course, as the case may be, and includes a part of an institution;

†(g) "Local bodies" means Municipal Corporations, Municipal Councils, Zila Panchayats and Janpada Panchayats in the State :

Provided that till Zila Panchayats are constituted, reference to Zila Panchayats

---

† Amended by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979" (No. 11 of 1979)

shall be constructed as reference to Mandal Panchayats in Madhay Bharat region;"

(h) "Managing Committee" means the managing committee constituted by the foundation society or the governing body, as the case may be, of a recognised institution;

(i) "Middle School Education" means such education as the State Government may by notification, define from time to time;

(j) "Recognised" with its grammatical variations used with reference to schools means recognised by the Board for the purpose of admission to the privileges of the Board;

(k) "regulation" means a regulation made by the Board under this Act;

(l) "Secondary Education". means the education which follows immediately the stage of Middle School Education and precedes immediately the stage of education controlled by the Universities established by law in India *and includes that part of the stage of education controlled by Universities to which examination known as Intermediate Examination was conducted by the Board established and constituted under the Act repealed under section 30, prior to the commencement of this Act.

---

*Added by the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1966 (No. 3 of 1966)

*(m) "Scheduled Caste" means a member of any caste, race or tribe or part or of group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

*(n) "Scheduled Tribe" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.

## CHAPTER II—Establishment of the Board of Secondary Education, its constitution, functions etc.

*Incorporation Board*

3. (1) The State Government shall, as soon as may establish, by a notification, a Board of Secondary Education with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) The Board shall be a body corporate by the name of "the Board of Secondary Education" and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immvoable and subject to the provisions made under this Act to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

---

* Subsituted by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979" (No 11 of 1979)

4. (i) The Board shall consist of the Chairman and the following members namely :— *Constitution of Board*

Ex-officio Members

(a) the Director of Public Instruction;

(b) the Director for Technical Education;

(c) Joint Director of Public Instruction in charge of Secondary Education, if any, or the Deputy Director of Public Instruction in charge of Secondary Education;

*(d) Director, Rastriya Chhatra Sena;

Nominated members by the Kuladhipati :—

*(e) two members from amongst the members of the executive councils or Universities in the State to be nominated by the Kuladhipati;

Elected Members:—

(f) five members elected by the Madhya Pradesh Legislative Assembly from amongst its members;

Members nominated by the State Government: —

*(g) fifteen members to be nominated by the State Government who shall include:—

( i ) four persons representing the heads of institutions recognised by the Board, including the Principals of Teachers Training Institutions and Training Colleges.'

* Substituted/Amended by the Madhay Pradesh Madhyamik Shiksh : (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979)

‡(ii) six persons representing teachers of Institutions recognised by the Board of whom atleast three shall be women;

†(iii) three persons representing management including local bodies which run institutions recognised by the Board;

†(iv) two persons representing Direcorate of Education or connected with Industries, Commerce, Agriculture and Medical professions.

Provided that if the Director of Public Instruction is appointed the Chairman, the Additional Director, if any or a Joint Director nominated by the State Government shall be ex-officio member of the Board in his place.

*(provided further that the members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly who are members of the Board which shall cease to exist under clause (b) of sub-section (1) of section 30 shall, under clause(f),become the members of the Board constituted for the first time under this Act and shall, not withstanding anything contained in section 6, continue as such, so long as they continue to be members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.)

†Provided also that out of fifteen members nominated under clause (g) of sub-section (1), three members shall be of Scheduled Tribes and two members shall be of Scheduled Castes'

---

* Inserted by the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1966 "(No. 3 of 1966)

Amended/Subsituted by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979" (No. 11 of 1979)

*(2) Deleted

*(3) The name of every person elected, or nominated shall be notified in the Gazette.

5. (1) The Chairman shall be such person as may be appointed by the State Government, by notification, in this behalf. *Appoitment of Chairman and term of Office and conditions of his service*

(2) The term of office and other conditions of service of the Chairman shall be such as may be prescribed by rules.

6. (1) The term of office of members other than ex-officio members or nominated members shall ordinarily be five years; *Term of office and filling of casuac Vacancies etc.*

*(2) the period of five years referred to in sub-section (1) shall be counted from the date specified in the notification issued under sub section (3) of of section 4.

(3) If any elected member ceases for any reason to be a member of the body from which he was elected, he shall cease to be a member and his office shall become vacant.

(4) The term of office of the nominated members shall be three years from the date of the notification regarding nomination under sub-section ( 3 ) of section 4.

---

* Deleted / Substituted / amended by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979" (No. 11 of 1979)

(5) Notwithstanding anything contained in this section, an outgoing member shall, unless the State Government otherwise directs, continue in office until the election or nomination of his successor is notified

* (6) If the State Government considers that the continuance in office of any nominated member is not in the public interest, the State Government may make an order terminating his nomination and thereupon he shall cease to be a member of the Board notwithstanding that the term for which he was nominated has not expired.

*(7) Any member of the Board may resign his office by letter addressed to the State Government. The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

*(8) In the event of a casual vacancy occurring by reason of death, resignation or termination or nomination of a member or for any other reason (s) such vacancy shall be filled by election or nomination, as the case may be and any person elected or nominated to fill such vacancy, shall hold office for the term for

---

* Amended by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979" (No. 11 of 1979)

which it was tenable by the person in whose place he has been so elected or nominated and no longer,

†(9) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election re-nominaion.

†(10) Where any member absents himself without prior permission of the Chairman from three consecutive meetings of the Board, the Board shall declare his seat to be vacant.

†(11) Notwithstanding anything contained in Sub-section (1) of section 6 of the Principal Act, members elected under clause (e) of sub section (1) of section 4 shall be deemed to have ceased to hold office with effect from the 3rd day of February, 1979. *Ceassation o member-ship*

† 7. The quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total number of members. *Quorum*

8. The Board shall have the following powers namely:— *Powers of Board*

(a) to prescribe courses of instructions in such branches of Secondary Education as it may think fit.

† "(aa) to make regulations for imposing penalties on candidates using unfair means in the examinations or interfering in the examination conducted by the Board;

(b) to conduct examinations based on such courses and take all steps ancillary thereto;

(c) to admit to its examinations, on conditions that may be prescribed, candi-

---

† Amended-Substituted by "the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Shashodhan) Adhiniyam 1979" (No. 11 of 1979)

dates who have pursued the prescribed courses of instructions—

( i ) in institutions recognised by the Board: or

( ii) privately;

(d) to publish the results of its examinations;

(e) to grant diplomas or certificates to persons who have passed the examinations of the Board;

(f) to recognise institutions situated in Madhya Pradesh for the purposes of admitting them to the privileges of the Board;

† "(ff) to prescribe conditions for recognition of schools or institutions including conditions of services of the teachers, their qualifications, equipments, buildings and other educational facilities;

† (fff) to withdraw recognition from the institution, where the Board is satisfied after the enquiry that its privileges are abused by it or that the conditions imposed by the Board for the recognition of such institution are not complied with:

Provided that de-recognition shall not ordinarily be made effective in the midst of an academic session;

Provided further that if any de-recognition is made effective in the midst of an academic session, the students of the school so de-recognised who would have been admitted in the Board's examinations shall be allowed to appear privately;

(g) to call for reports from the Director of Public Instruction on the condition of recog-

---

† Added by Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979)

rised institution or of institutions applying for recognition or to direct inspection of such institutions:

(h) to adopt measures to promote physical, moral and social welfare of students in recognised institutions and to prescribe conditions of their residence and discipline;

(i) to organise and provide lectures, demonstrations, educational exhibitions and to take such other measures as are necessary to promote the standard of secondary education:

(j) to institute and award scholarships, medals and prizes under conditions that may be prescribed;

(k) to demand/receive such fees as may be prescribed including hees for registration of teachers and Managing Committees applying for registration as such ;

(l) to take all steps for the purpose of controlling, supervising and directing the functioning of a Divisional Board:

(m) to advice the State Government as to the courses of instructions and syllabi of Middle School Education with a view to secure co-ordination between Middle School and Secondary Education :

†(mm) (i) to organise conferences, seminars symposiums to promote the standard of Secondary Education;

(ii) to organise workshops and training programmes for paper setters;

(iii) to take necessary steps with regard to modernising of school curriculum, strengthening of science and mathematics education, work experience and vocationalisation by making investigation and researches into the latest evaluation process or other experiments;

(iv) to take all necessary steps to make examinations more valid, reliable, comprehensive and elaborate;

(v) to arrange for comprehensive evaluation of students through cumulative records and internal assessment records;

(n) to do all other things ancillary to any of the purposes specified above or for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

*Disqualification for being member of the Board*

†'8-A. A person shall be disqualified for being nominated or for continuing as a member if he, directly or indirectly, by himself or by his partner—

† Deleted/Substituted by Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 1979)

(a) has any share or interest in any publication prescribed as a text book of study for use in any institution imparting secondary education : or

(b) has any share or interest in any work done for or on behalf of the Board :

Explanation—For the purpose of this section, the publication of a text book shall include its republication:

*Powers of the State Government*

9. (1) The state Government shall have the right to address the Board with reference to anything conducted or done by the Board or the Divisional Board and to communicate to the Board its views on any matters with which the Board or the Divisional Board is concerned.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the communication and shall furnish an explanation if, it fails to take action.

(3) If the Board does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering

any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit, and the Board or the Divisional Board, as the case may be, shall comply with such directions.

(4) When any emergency in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken, the State Government may exercise such of the powers of the Board or the Divisional Board under this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board or the Divisional Board and shall forthwith inform the Board of the action taken.

(5) The State Government may, by order in writing specifying the reasons there of, suspend the execution of any resolution or order of the Board or a Divisional Board and prohibit the doing of an act ordered to be or purporting to be ordered to be done by the Board or a Divisional Board, if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers confered by or under this Act upon the Board or the Divisional Board.

(6) Whenever any action is taken by the State Government under sub-section

(3), (4) or (5) a report there of shall be laid on the table of the Legislative Assembly at the earliest possible opportunity stating the reasons for such action.

*Constitution of Board Fund*

10 A Board-fund shall be formed for the Board, and all sums received by or on behalf of the Board under this Act or otherwise shall be placed to the credit there of.

*Custody and investment of Board Fund*

11. All moneys at the credit of the Board Fund shall be kept in the Govt.treasury or at any Bank as the Board may with the approval of the Government determine :

Provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the Board from investing in such moneys as are not required for immediate expenditure in any of the Government securities.

*Application of Board Fund*

12. Subject to the Provisions of this Act, the Board Fund shall be applicable only to the payment of the charges and expenses incidental to the several matters specified in this Act and to any other purpose for which by or under this Act, powers are conferred or duties imposed upon the Board or a Divisional Board.

*Budget*

13. (1) The Board shall prepare in such manner as may be prescribed by regulations the budget for the ensuing financial year and forward it to the State Government for its sanction not later than the thirty first day of January preceding such financial year. The State Government may pass such orders with reference there to as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 31st day of March preceding such financial year and the Board shall give effect to such orders.

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the 31st day of March referred to above, the budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

(2) The Board may, if it considers it necessary to do so, prepare a supplementary budget during any financial year for such year and submit it to the State Government for its sanction not later than the thirty first day of October in the said financial year. The State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 30th day of November of the said financial year and the Board shall give effect to such orders.

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the 30th November, the supplementary budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

*Audit of accounts of Board*

14. The accounts of the Board and the Divisional Boards shall be audited annually by such agency as may be specified by the State Government and a copy of the audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government by such date each year as the State Government may, by rules, specify.

*Powers and duties of Chairman.*

15. (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(2) The Chairman may, whenever he thinks fit, call a meeting after giving a notice of not less than twenty-one clear days and shall be bound to do so, within fourteen days of the receipt of a written requisition signed by not less than *thirteen members of the Board and stating therein the business to be brought before the meeting.

(3) In any emergency arising out of the business of the Board which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman shall exercis such other powers as may be vested in him by regulations.

* (5) The Chairman may delegate such powers and entrust such duties as are con-

*Substituted by Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979).

ferred or imposed on him by or under this Act, to the Secretary by an order in writing specifying the powers delegated."

*Appointment, powers and duties of Vice-Chairman*

16. (1) The State Government may in consultation with the Chairman appoint any person to be a Vice-Chairman of the Board.

(2) The term of the office and other conditions of service of the Vice-Chairman shall be such as may be prescribed by rules.

(3) The Vice-Chairman shall assist the Chairman in all matters administrative or academic and shall exercise such powers and perform such functions of the Chairman as may be delegated or entrusted to him by the Chairman.

*Officers and servants of Board*

17. (1) There shall be a Secretary and such number of Deputy Secretaries to the Board as the State Government may consider necessary.

(2) Appointment of the Secretary and the Deputy Secretaries shall rest with the State Government.

*(3) The Board may, subject to the provisions of sub-section (5) appoint such officers including Assistant Secretaries and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions,

(4) The qualifications, the conditions of appointment and service and the scales of pay of officers and servants of the Board shall :—

---

*Substituted/amended by Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979).

(a) as respects the Secretary and the Deputy Secretaries be such as may be specified by rules made by the State Government; and

(b) as respects Assistant Secretaries, other officers and servants as may be determined by regulations made under this Act.

*(5) The Board shall not create a post of which the initial salary is Rs. 500/ or more or the maximum of which is Rs. 900/- or more, nor the Board shall appoint any person to a post carrying such initial or maximum salary save with prior approval of the State Government.

18. (1) The Secretary shall be the principal administrative officer and shall, subject to the control of the Chairman, perform such duties as may be assigned to him by the Board. *Powers and duties of Secretary*

(2) The Secretary shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purposes for which they are granted or allotted.

(3) The Secretary shall be responsible for keeping the minutes of the Board.

(4) The Secretary shall be entitled to be present and to speak at any meeting of the Board and the Executive Committee but shall not be entitled to vote thereat.

( ) The Secretary shall exercise such other powers as may be laid down in regulations.

---

* Amended by the Madhya Pradesh Madhyamik Siksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979)

*Executive Committee.*

19. (1) There shall be constituted an Executive Committee consisting of the members of the Board, as follows:—

(a) the Chairman of the Board;

(b) the Director of Public Instruction;

(c) two members to be elected by the Board from amongst the members elected under clause (f) of sub-section (1) of section 4;

(d) two members to be elected by the Board from amongst the members nominated under sub-clauses (i) and (ii) of clause (g) of sub-section (1) of section 4;

(e) three members to be elected by the Board from amongst members nominated under sub-clauses (iii) and (iv) of clause (g) of sub-section (1) of section 4;

(f) one member to be nominated by the State Government to represent any interest not otherwise represented on the Executive Committee.

(2) The Chairman and Secretary of the Board shall act as Chairman and Secretary respectively of the Executive Committee.

* (3) The term of office of members of the Executive Committee shall be two years so however that the said term shall not extend beyond the term of the Board which constituted the said Executive Committee.

---

* Substituted by the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodan) Adhiniyam 1966 No. 3 of 1966)

(4) The Executive Committee shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by regulations.

## CHAPTER III—DIVISIONAL BOARD

20. (1) There may be constituted for each Revenue Division a Divisional Board consisting of the Divisional Chairman and the following members :— *Divisional Board*

(a) a Principal of the Post-Graduate Basic Training College in the Revenue Division and if there be more than one such college in the Division senior most amongst such Principals;

(b) Divisional Superintendent or Superintendent of Education within the Revenue Division;

(c) one District Education Officer in the Division to be nominated by the State Government by rotation every year;

(d) one member of Legislative Assembly representing a constituency or part of a constituency in the Revenue Division, to be nominated by the State Government;

(e) Mayor of the Municipal Corporation or President of the Municipal Council, as the case may be, situated at the Divisional headquarters;

(f) one person interested in secondary education nominated by the State Government.

(2) The headquarters of the Divisional Board shall be located at the headquarters of the Revenue Division.

(3) The Chairman of the Divisional Board shall be such person as may be appointed by the State Government, by notification, in this behalf and shall be deemed to be a member of the Divisional Board.

(4) The term of office of members nominated under clauses (d) and (f) * [of section 11] shall be three years from the date of notification of their nomination in the Gazette.

(5) The Secretary of the Divisional Board shall be such person as may be appointed by the State Government as such.

(6) Subject to the other provisions of this Act, the rules and the regulations made thereunder, the Divisional Chairman and the Secretary of the Divisonal Board shall, in relation to matters pertaining to the Divisional Board, exercise the same powers and perform the same functions which the Chairman or the Secretary, as the case may be, of the Board exercises or performs in relation to matters pertaining to the Board.

*Term of Office and conditions of service of the Divisional Chairman and Secretary.*

21. The term of office and other conditions of service of the Divisional Chairman and the Secretary of the Divisional Board shall be such as may be prescribed by rules.

---

* Added by Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1966 (No. 3 of 1966)

22. Subject to the provisions of this Act and the control, supervision and directions of the Board, the powers and duties of a Divisional Board shall be as follows :— *Powers and functions of the Divisional Board*

(a) to advice the Board on matters of importance relating to the Division either reffered to it or of its own initiative regarding the standards and requirements of secondary schools.

(b) to conduct in the area of its jurisdiction the examinations on behalf of the Board,

(c) to recommend opening of centres within its jurisdiction for the conduct of Board examinations.

(d) to inspect and recommend recognition of secondary schools and to recommend withdrawal of such recognition according to regulations prescribed by the Board.

(e) to admit candidates for the examinations of the Board according to the regulations made in this behalf.

(f) to appoint supervisors, to organise tabulations of results and compile and forward results to the Board.

(g) to forward list of candidates according to merit for the purpose of award of scholarships, etc within its jurisdiction.

(h) to deal with cases of use of unfair means during examinations.

( i ) to exercise such other powers and to perform such other functions as may be delegated or entrusted to it by the Board.

*Board to have control over Divisional Board and to provide for fund and staff.*

23. ( i ) The Board shall have power of suprintendence and control over all matters pertaining to the Divisional Board and The Divisional Board shall in the discharge of its functions under this Act be bound by such directions as may be given to it by the Board.

( ii ) It shall be the duty of the Board to place at the disposal of the Divisional Board such fund and such number of officers and other staff as may be necessary for the efficient performance of the functions entrusted to the Divisional Board by or under this Act.

*Termination of appointment of examiners etc. for any remunerative work of the Board.*

*23. A. (1) If at any time it appears to the Board that the person appointed for any re-munerative work of the Board, has been guilty of any misconduct or negligence which renders the appointment for a particular work inexpendient, the Board may make an order terminating his appointment and directing that such person shall not be eligible for appointment for the particular work at any time or for any specific period. Before making such orders, the Board shall

---

* Added by the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksh

observe such procedure as may be prescribed.

(2) The name of the persons against whom an order has been made under sub-section (1) shall not be included in the penals of names for such period as may be specified in such orders.

## CHAPTER IV—MISCELLANEOUS

**24.** (1) The Board shall constitute the following Committees, namely:— *Constitution of Committees etc*

(a) Committees of Courses.

(b) an Examination Committee.

(c) a Recognition Committee.

(d) a Finance Committee;

(e) a Curriculum Committee.

(f) Such other Committees, if any, as may be prescribed by regulations.

(2) Every such committee shall consist of such members of the Board and of such other persons, if any, as the Board may think fit.

* (3) Deleted.

* (4) Members of such Committees shall hold office during such time as the Board which appointed them, specifies from time to time :

provided that if the term of the Board appointing such Committees, expires before the term so specified, the Committees shall hold office till new Committees are appointed by the successor Board.

* (5) Deleted.

*Exercise of powers delegated by Board to Committees, etc.* 25. All matters relating to the powers to be exercised by the Board conferred upon it by this Act which have, by regulations been delegated by the Board to the Executive Committee or to any other Committee constituted under section 24 shall stand referred to that Committee, and the Board before exercising any such powers, shall receive and consider the report of the Committee with respect to the matter in question.

Provided that where in the opinion of the Board immediate action is necessary with respect to any such matter, it may proceed to deal with it without the reports of the Committee in respect thereof and pass such orders thereon as it considers necessary.

*Proceeding not invalidated by reason of vacancies.* 26. Subject to the provisions of this Act or any rules, regulations or byelaws made thereunder, no act or proceeding of the Board, a Divisional Board, the Executive Committee or of a Committee constituted under section 24, shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy amongst the members of the Board, the Divisional Board or such Committee.

*Powers to make rules* 27. (1) The State Government may, after previous publication make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) All rules made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

*28 (1) The Board may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

*Powers of Board to make Regulations.*

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters namely:—

(a) powers and duties of the Executive Committee constituted under section 19;

(b) the constitution, powers and duties of Committees constituted under section 24;

* (bb) the impositions of penalty on candidates using unfair means or interfering in the examination conducted by the Board;

(c) the award of diplomas or certificates;

* (d) the conditions of recognition of institutions for purposes of admission to the privileges of the Board, the qualification and condition of service of teachers and framing of a School Code to ensure a minimum standard of efficient and uniform management of such institutions;

---

* Amended/Substituted by the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam 1979 (No. 11 of 1979)

(e) the courses of study to be laid down for all diplomas or certificates;

(f) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas or certificates;

(g) the fees for admission to the examinations of the Board;

(h) the conduct of examinations;

(i) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's examinations;

(j) the admission of institutions to the privileges of recognition;

(k) the appointments of officers, clerks and other servants of the Board and the conditions of their services;

(l) the constitution of provident Fund for the benefit of the officers, clerks and other servants employed by the Board;

(m) the control, administration, safe custody and management in all respects of the finances of the Board and

(n) all matters which by this Act are to be or may be provided for by regulations.

(3) The regulations made under this section shall be subject to the condition of previous publication in the manner set forth

Clauses Act, 1957 (3 of 1958) and shall not take effect until they have been sanctioned by the State Government and published in the Gazette.

(4) When the final draft of the regulations is submitted by the Board to the State Government for sanction under sub-section (3), the State Government shall, within a period of three months from the date of submission of such draft, communicate to the Board either its sanction or refusal to the draft or may suggest such modifications therein as may be deemed necessary in the draft. If the State Government fails to take any action, the final draft as submitted by the Board, shall be deemed to have been sanctioned by the State Government and shall be published in the Gazette accordingly.

*Powers to make byelaws.*

29. (1) The Board, the Divisional Board, the Executive Committee and the Committees constituted under section 24, may make byelaws consistent with this Act and the regulations:—

(a) laying down the procedure to be observed at meeting and the number of members required to form a quorum

(b) providing for all matters which, consistently with this Act and the regulations, are to be provided for by any byelaws: and

concerning the Board, Divisional Board, Executive Committee and Committees constituted under section 24 and not provided for by this Act or the rules or the regulations.

(2) The Board, the Divisional Board, the Executive Committee and the Committees constituted under section 24, shall make byelaws providing for the giving of notice to their members, of dates of meeting, and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Board may direct the amendment or rescission of any byelaw made under this section by a Divisional Board, the Executive Committee or any Committee constituted under section 24 and such Board or Committee shall effect to the direction.

## CHAPTER V—REPEAL ETC.

Repeal and savings 30. (1) As from the date specified for the establishment of the Board under the sub-section (1) of section 3, the following consequences shall ensue, namely:—

(a) the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1959 ([illegible] of 1959), shall stand repealed;

(b) the Board of Secondary Education existing immediately before the date aforesaid shall cease to exist;

(c) all assets and liabilities of the Board

referred to in clause (b), shall vest in the Board established under section 3;

(d) all employees belonging to or under the control of the Board referred to in clause (b) immediately, the employees of the Board established under section 3;

Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not, until altered by a competent authority, be less favourable than those admissible to them while in service of the Board referred to in clause (b);

(e) all records and papers belonging to the Board referred to in clause (b), shall vest in and be transferred to the Board established under section 3.

(2) Notwithstanding the repeal of the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1959 (10 of 1959), things done or omitted to be done and action taken by any authority by or under the provision of the said Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under this Act.

*Transitory Provision*

31. Notwithstanding anything contained in this Act, the Executive Committee constituted under Act repealed under section 30

shall continue to function till such time as the Executive Committee is constituted in accordance with the provisions of section 19.

*Power to remove difficulty.*

32. If any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to them to be necessary or expedient for removing the doubt or difficulty.

---

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7383
DOC, No ........
Date........24.2.93

Printed at the Board of Secondary Education Press, Bhopal s

277—2000—1979

(Vide No. 1/Mt./79 dated 18-8-1979)

NIEPA DC
D07383